

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सोसं०- 17-तक० को०-312/2018.....10888.....

प्रेषक,

जय सिंह, मा०प्र०से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा,  
मुंगेर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार,  
पूर्णिया एवं अररिया।

पटना, दिनांक :- 22-09-2020

विषय :- विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत जिन ग्रामों में पूर्व में कार्य किया गया है, वहाँ कार्य के प्रक्रम अनुसार अग्रेतर कार्य करने के संबंध में।  
प्रसंग :- निदेशालय का पत्रांक-477 दिनांक- 20.03.2019  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि:-

1. प्रासंगिक पत्र द्वारा संसूचित किया गया था कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचना संख्या- 165(8)/रा०, पटना-15 दिनांक- 15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि आपके जिले में अब तक किए गए विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर कर ली जाए एवं इस बात की संपुष्टि कर ली जाए कि अब तक किया गया विशेष सर्वेक्षण के किसी प्रक्रम में भिन्नता की स्थिति पाई जाती है तो उसकी समीक्षा कर उसमें यथा आवश्यक सुधार की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए एवं पश्चात् की सभी कार्रवाईयाँ भी तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में ही की जाए।

बन्दोबस्त पदाधिकारी का विशेषकर दायित्व होगा कि अंतिम प्रकाशन से पूर्व भलीभांति संपुष्टि हो लेंगे की विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत की गयी अब तक की सभी कार्रवाईयाँ तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुकूल है।

अद्यतन कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

2. आपके जिलों में हुए भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की समीक्षा जिलास्तर, प्रमंडलीय स्तर एवं राज्य स्तर पर किये जाने के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि तकनीकी मार्गदर्शिका के अभाव में पूर्व में किए गए सर्वेक्षण कार्य में कतिपय कमियां रह गई है। साथ ही राजस्व ग्रामों में किस्तवार के दौरान त्रि-सीमाना एवं यूनिट बॉउन्ड्री का निर्धारण विधिवत् किये बिना मानचित्र निर्माण एवं आगे के प्रक्रम के लिए कार्य किये गए हैं।

इस आलोक में यह आवश्यक है कि अलग-अलग ग्रामों में पूर्व में किए गए कार्यों की स्थिति के अनुसार प्रक्रमवार कार्य करने के लिए परिस्थितियों एवं उसके अनुरूप प्रक्रमवार कार्य करने के लिए निम्नांकित आवश्यक उपाय अपनाये जाय ताकि त्रुटिरहित भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य हो:-

क. वैसे राजस्व ग्राम जहाँ खानापुत्री चल रही है पर एल०पी०एम० वितरित नहीं हुआ है:-

- i. ग्राम सीमा सत्यापन पश्चात् एजेंसी से प्राप्त मानचित्र में संशोधन एवं परिवर्तित खेसरो को चिह्नित करना।
- ii. याददाश्त पंजी का संधारण करना।
- iii. खेसरा पंजी का संधारण।
- iv. तत्पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई करना।

ख. वैसे राजस्व ग्राम जहाँ प्रपत्र-7 एवं एल०पी०एम० वितरित हो गया लेकिन प्रारूप प्रकाशन नहीं हुआ है:-

- i. ग्राम सीमा सत्यापन पश्चात् एजेंसी से प्राप्त मानचित्र में संशोधन एवं परिवर्तित खेसरा का चिह्नित करना और याददाश्त पारित करना।
- ii. चिह्नित खेसरो का खानापुत्री पर्चा एवं एल०पी०एम० तैयार कर सम्बन्धित रैयतों का वितरित करना।
- iii. एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् अधिनियम/नियमावली द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सुनवाई करना।
- iv. तत्पश्चात नियमावली के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई।

ग. वैसे राजस्व ग्राम जहाँ प्रारूप प्रकाशन हो चुका है:-

- राजस्व ग्राम में त्रि-सीमाना का नियत कर मोन्यूमेंटेशन किया जाना और ग्राम सीमा सत्यापन करना।
- ग्राम सीमा सत्यापित मानचित्र में संशोधन एवं परिवर्तित खेसरो का चिह्नित करना।
- चिह्नित खेसरो का खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 तैयार कर शिविर प्रभारी से आदेश लेकर सम्बन्धित रैयतों में आवश्यकतानुसार वितरित करना।
- सुनवाई पश्चात् खेसरा पंजी (प्रपत्र- 6) में इन्द्राज कर संशोधित प्रारूप प्रकाशन करना।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: - 17-तक0 को0-312/2018.....10888..... पटना, दिनांक :- 22-09-2020

प्रतिलिपि:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्रतिनियुक्त सभी नोडल पदाधिकारी/भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्रतिनियुक्त सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: - 17-तक0 को0-312/2018.....10888..... पटना, दिनांक :- 22-09-2020

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक ज्ञापांक: - 17-तक0 को0-312/2018.....10888..... पटना, दिनांक :- 22-09-2020

प्रतिलिपि:- सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण के निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण